सा.का. नि. 243. — संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग, अनुसंधान अधिकारी (योजना) भर्ती नियम, 1985 और पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग (वर्ग ''ख'' पद) भर्ती नियम, 1986 जहां तक वे सहायक अनुसंधान अधिकारी के पदों के संबंध में हैं, का अधिक्रमण करते हुए परन्तु ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या करने के लिए आस्थिगित बातों को छोड़कर राष्ट्रपति एतद्द्वारा पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग में अनुसंधान अधिकारी (योजना) और सहायक अनुसंधान अधिकारी के पदों पर भर्ती को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामतः :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों को पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग, अनुसंधान अधिकारी (योजना) (वर्ग ''क'') और सहायक अनुसंधान अधिकारी (वर्ग ''ख'') पद भर्ती नियम, 2005 कहा जाएगा।
 - (2) ये भर्ती नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से प्रवृत्त होंगे।
 - 2. लागू होना. —ये नियम संलग्न अनुसूची के कालम 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- 3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबंधित वेतनमान, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।
- ्र े र्री प्र<mark>णाली, आयु-सीमा, अर्हता आदि. —उक्त पदों की भर्ती प्रणाली, आयु-सीमा, अर्हता तथा उनसे संबंधित अन्य बातें पूर्वोक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगी।</mark>
 - 5. निरर्हता . जिसने
 - (क) किसी ऐसी महिला/पुरुष से विवाह किया हो जिसके पति/पत्नी जीवित हों या
 - (ख) पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी से विवाह किया हो,.

वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यह और भी कि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होकर ऐसे व्यक्ति और दूसरे पक्ष पर लागू होने वाली स्वीय विधि में इस प्रकार का विवाह अनुजेय है, इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

- 6. शिथिल करने की शिक्त .— जहां केन्द्र सरकार के मत के अनुसार ऐसा किया जाना आवश्यक और समीचीन है, वहां लिखित रूप में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से केन्द्र सरकार व्यक्तियों के किसी वर्ग और श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकती है।
- 7. व्यावृत्ति.—इन नियमों से केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतर्पूव सैनिकों तथा विशेष श्रेणी के अन्य व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

नद का नाम	पदों की संख्या (१)	वर्गीकरणः	वेतनमान के अञ्चलकार के अञ्चलकार	प्रवरण पद या गैर प्रवरण पद	क्या जोड़े गए सेवा वर्षों के ला केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन नियम, 1972 के नियम 30 व तहत देय है
1	20	3	4	5	6
1. अनुसंधान अधिकारी (योजना)	02*(2005) *कार्यभार के आधार पर पदों की संख्या में अंतर आ सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, वर्ग 'क' राजपत्रित, गैर-अनुसचिवीय	্চ. 8000-275- 13500	लागू नहीं	लागू नहीं
सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा		सीधे भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हताएं		या सीधी भर्ती से आने वितयों के लिए निर्धारित वं अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति मले में लागू होंगी	आयु यदि कोई हो
7		8		9	10
लागू नहीं		लागू नहीं		ग्रू नहीं	प्रोन्नित के लिए दो वर्ष

भर्ती प्रणाली: सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न प्रणालियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत यदि भर्ती, प्रोन्नित/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा की जाती है तो वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नित/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा

11

12

प्रतिनियुक्ति

केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारी जो :-

- (क) (i) पैतृक संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारी हों; या
 - (ii) पैतृक संवर्ग/विभाग में रु. 6500—10500 के वेतनमान के पद या समकक्ष पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद, उस ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा कर चुके हों; और

12

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हों:

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष संस्था से आपरेशन रिसर्च या गणित या अर्थशास्त्र (सांख्यिकी सहित) या वाणिज्य (सांख्यिकी सहित) में मास्टर डिग्री या समकक्ष
- (ii) सांख्यिकीय आंकड़ों के संकलन, संग्रहण, विश्लेषण और निर्वचन में तीन वर्ष का अनुभव

II. चयन के लिए विभागतर लोगों पर विचार करते समय ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवायुक्त विभागीय सहायक अनुसंधान अधिकारी पर भी विचार किया जाएगा और पद पर नियुक्ति के लिए उनका चयन हो जाने पर पद प्रोन्नित द्वारा भरा समझा जाएगा।

नोट: जिन मामलों में अर्हता सेवा पूरी करने वाले किनच्छ अधिकारियों की प्रोन्नित पर विचार किया जा रहा हो वहां उनके वरिष्ठ अधिकारियों की प्रोन्नित पर भी विचार होगा परन्तु शर्त यह है कि उनकी अर्हता सेवा, निर्धारित योग्यता या अर्हता सेवा के आधे या दो वर्ष, जो भी कम हो से कम न हो तथा अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नित की अर्हता पूरी करने वाले अपने किनच्छ अधिकारियों के समान उन्होंने भी अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नित के लिए सफलतापूर्वक परिवीक्षा अविध पूरी की हो।

(विभागीय अधिकारी जो फीडर कोटि में हैं और जो प्रोन्ति के लिए सीधी लाइन में हैं, वे प्रितिनयुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रितिनयुक्त भी प्रोन्ति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में नियुक्ति के तत्काल पहले अन्य नि:संवर्गीय पद पर प्रितिनयुक्ति सहित प्रितिनयुक्ति या अनुबंध की अविध सामान्यतः 3 (तीन वर्ष) से अधिक नहीं होगी, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

यदि कोई विभागीय प्रोन्नित सिमिति है, तो उसकी संरचना क्या है	किन परिस्थितियों में भर्ती के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा		
13	14		
लागू नहीं	पद भरने तथा भर्ती नियमों के किसी प्रावधान को संशोधित या शिथिल करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक होगा।		

- G.S.R. 243.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the North Eastern Council Secretariat, Shillong, Research Officer (Planning) Recruitment Rules, 1985 and North Eastern Council Secretariat, Shillong, (Group 'B' posts) Recruitment Rules, 1986, in so far as they relate to the posts of Assistant Research Officer, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Research Officer (Planning) and Assistant Research Officer in the North Eastern Council Secretariat, Shillong, namely:—
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called North Eastern Council Secretariat, Shillong, Research Officer (Planning) (Group 'A') and Assistant Research Officer (Group 'B') posts Recruitment Rules, 2005.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
 - 2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed hereto.
- 3. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of posts, their classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.
- 4. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.
 - 5. Disqualification.—No person,—
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person, having a spouse living, or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972		
1	2	3	4	5	6		
1. Research Officer (Planning)	02* (2005) *Subject to variation dependent on work- load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non- Ministerial	Rs. 8000-275- 13500	Not applicable	Not applicable		
Age limit for direct recruits		Educational qualification required for direct recruits		Whether age an educational qual cation prescribe for direct recruit will apply in the of promotees	ifi- probation, ed if any s		
and more 7	en sakana en en er er Angelise er Steller it deter	8		9 Maria 19 M	10		
Not applicable		Not applicable		Not applicable	Two years for Promotees		
direct recruit or deputation/abso	he posts to be filled	In case of rec which promo	tion/deputation/ab	otion/deputation/absorption to be made	Particular Property		
Application of the second	11	12					
Deputation	Arriva de adres es Maria de Arriva de Arriva de La Arriva de Arriv	Territor (a) (i) l	Officers under the Central Government or State Government or Union Territories: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or				
	er er yek elek e	(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the scale of pay of Rs. 6500—10500 or equivalent in the parent cadre or Department; and					

12

- (b) possessing the following educational qualifications and experience:
 - (i) Master's Degree in Statistics or Operations Research or Mathematics or Economics (with Statistics) or Commerce (with Statistics) from a recognised University or equivalent.
 - (ii) Three years' experience in collection compilation, analysis and interpretation of statistical data.
- 2. The Departmental Assistant Research Officer with five years' regular service in the grade shall also be considered alongwith outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filed by promotion.

Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their promotion period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications).

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

13

14

Not applicable

Consultation with Union Public Service Commission necessary for filling up of post and for amendment or relaxation of any provision of these Recruitment Rules.